संख्या-619/2017/1874/22-2-2016-17(197)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 04 अगस्त, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मांगे पुत्र श्री सुक्खन निवासी जनपद-मेरठ की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34860/प्रोबेशन-3(एम-06-09-2016) दिनांक-26-09-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मांगे पुत्र श्री सुक्खन, निवासी-कपसाड, थाना-सरधना, जनपद-मेरठ का रहने वाला है। बन्दी ने दिनांक 09.10.1999 को अपरान्ह् लगभग 04:00 बजे रामपाल की 07 वर्षीय प्रीती को बिस्कुट खिलाने के बहाने ले गया। रात्रि 09:00 बजे तक न लौटने पर तलाश करते समय बन्दी ने शराब के नशे में बताया कि उसने प्रीती के साथ बलात्कार करने के बाद गला दबाकर हत्या कर दी और लाश ईख के खेत में पडी है। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1333/1999 में भा0द0वि0 की धारा-364, 376, 302, 201 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0-2, मेरठ के आदेश दिनांक 02.09.2003 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 18.02.2016 तक 16 वर्ष 04 माह 07 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 06 माह 02 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी द्वारा रामपाल की 07 वर्षीय प्रीती को बिस्कुट खिलाने के बहाने ले गया। रात्रि 09:00 बजे तक न लौटने पर तलाश करते समय बन्दी ने शराब के नशे में बताया कि उसने प्रीती के साथ बलात्कार करने के बाद गला दबाकर हत्या और लाश ईख के खेत में फेककर जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे मे विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी मांगे पुत्र श्री सुक्खन को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी मांगे (बन्दी संख्या-8761) पुत्र श्री सुक्खन जनपद-फतेहपुर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)

संयुक्त सचिव।

संख्या-619/2017/1874(1)/22-2-2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्या-619/2017/1874/22-2-2016-17(197)/2017

दिनांक 04 अगस्त, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मांगे पुत्र श्री सुक्खन, निवासी-कपसाड, थाना-सरधना, जनपद-मेरठ का रहने वाला है। बन्दी ने दिनांक 09.10.1999 को अपरान्ह् लगभग 04:00 बजे रामपाल की 07 वर्षीय प्रीती को बिस्कुट खिलाने के बहाने ले गया। रात्रि 09:00 बजे तक न लौटने पर तलाश करते समय बन्दी ने शराब के नशे में बताया कि उसने प्रीती के साथ बलात्कार करने के बाद गला दबाकर हत्या कर दी और लाश ईख के खेत में पडी है। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1333/1999 में भा0द0वि0 की धारा-364, 376, 302, 201 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0-2, मेरठ के आदेश दिनांक 02.09.2003 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 18.02.2016 तक 16 वर्ष 04 माह 07 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 06 माह 02 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी द्वारा रामपाल की 07 वर्षीय प्रीती को बिस्कुट खिलाने के बहाने ले गया। रात्रि 09:00 बजे तक न लौटने पर तलाश करते समय बन्दी ने शराब के नशे में बताया कि उसने प्रीती के साथ बलात्कार करने के बाद गला दबाकर हत्या और लाश ईख के खेत में फेककर जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे मे विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी मांगे पुत्र श्री सुक्खन को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।